13.12.21. पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाए जाने के उपरान्त भी न अधिवक्ता अपी. न. स्वयं अपीलान्ट उपस्थित आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

सुरेन्द्र कुमार पालीवाल,
पीठासीन
अपर जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर मेट्रो-प्रथम